कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2019 / 613 दिनांक :: 12 फरवरी, 2019

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 6 फरवरी, 2019 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 27 अगस्त, 2018 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27 अगस्त, 2018 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 27 अगस्त, 2018 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 27 अगस्त, 2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में कार्यरत अराजपत्रित अधिकारियो / कार्मिकों को बोनस / एक्सग्रेसिया तथा उपहार राशि एंव मिठाई क्रय हेतु राशि के किये गये भुगतान का कार्यकारी समिति में अनुमोदन करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्राधिकरण कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–21 / स्थापना / 2018 / 6229 दिनांक 05.11.2018 के द्वारा दिपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की तर्ज पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों / कार्मिकों को बोनस / एक्सग्रेसिया तथा उपहार राशि एंव मिठाई क्रय हेतु राशि भुगतान निर्धारित शर्तो पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसका आगामी कार्यकारी समिति में अनुमोदन करवाया जाना हैं। जिसका प्रस्ताव प्रस्तुत है। उक्त आदेश की प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया एवं प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में कार्यरत् अधिकारियों / कर्मचारियों को बोनस / एक्सग्रेसिया, उपहार राशि एवं मिठाई क्रय हेतु दी गयी राशि के आधार पर जोधपुर

12.2.2019

विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा बोनस/एक्सग्रेसिया, उपहार राशि एवं मिठाई क्रय हेतु भुगतान की गयी राशि का अनुमोदन करने का बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: Approval of Time extension and Recovery against the Price Escalation Bill for the work of Construction of four lane RoB in lieu of B-72 (Between Riktiya Bhairuji Chauraya & Rotary Circle), Jodhpur, Rajasthan.

Construction of four lane RoB in lieu of B-72 (Between Riktiya Bhairuji Chauraya & Rotary Circle), Jodhpur Rajasthan was awarded by Jodhpur Development Authority to G.R. Infraprojects Ltd. vide agreement no. F38(1)/2013-14/EEZONE-ROB II/B-72 for contract amount Rs. 95,95,58,908/- Stipulated date of commencement of the work and stipulated date of completion as per the work order was 27.08.2013 and 26.02.2016 respectively. There were multiple hindrances like Utility Shifting(Trunk Sewer, Minor sewer, Overhead HT/LT Electric lines & Towers, PHED Water Pipe lines, Shifting of Advertising Gantries/ Uni-poles, BSNL/ Private Operator's telephone cables/OFC cables), availability of land after completion of Land Acquisition proceedings, availability of Railway Land after deposition of Way Leave Charges, approval of Design Drawing, CRS & Railway Traffic Block approval for launching of Steel Girders, which were beyond the control of contractor as well as Department. Because of these hindrances, the contractor couldn't complete the Project within stipulated time period. Contractor completed the entire ROB Project work on dated 08.05.2018 and it was inaugurated by Hon'ble Chief Minister on dated 21.06.2018 for public use. Detailed arithmetical time extension case based on occurrence of hindrances as mentioned above and pro-rata progress have been prepared and annexed at annexure 'A'. There was a net delay of 803 days (from 26.02.2016 to 08.05.2018). This delay is within 1.5 to 2.00 times of stipulated duration and it is on the part of Department (i.e. JDA). Proof of hindrances is available in Hindrance register and annexed herewith for kind reference.

As per the Clause no. 12 of Section-5 (General Conditions of Contract), there is provision of Price variation. Price variation amount has been calculated based on the difference between the index of materials and labour at the time of opening of Financial BID/ negotiation and respective increase/ decrease index as the case may be during execution of the work. Price escalation bill amounting to Rs. 89,83,959.49/- (Recovery from Contractor) have been prepared as per the provisions of the Contract. The Final Bill for the work has been also prepared amounting to Rs. 3,46,37,188.49/- As per the order of FD, GOR the Price Escalation Bill for the work should be prepared prior to payment of Final Bill to the contractor. In this case, Price escalation bill is negative and it has to be recovered from Final Bill of the contractor which is yet to be paid.

Time extension case is involved with Price escalation. Hence, time extension case along with Price escalation case needs approval of EC as per the Clause no. 29 of SOP JDA Jodhpur. Therefore Time extension of 803 days on the part of Department without compensation against contractor and recovery from contractor against Price escalation is submitted here with before EC for approval and perusal so that final accounts can be settled accordingly.

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं निदेशक–अभियांत्रिकी द्वारा प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यकारी समिति के सदस्यों को प्रदान की गयी। चूंकि प्रकरण में शिड्यूल ऑफ पावर के बिन्दु संख्या 29 (2) के कम में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति टाईम एक्सटेंसन कैस की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम है। (चूंकि इस कार्य का आदेश

2-2-2019

तत्कालीन आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा दिया गया है) अतः बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: Approval of Extra (BSR & Non BSR) & Excess items for the work of Construction of four lane RoB in lieu of B-72 (Between Riktiya Bhairuji Chauraya & Rotary Circle), Jodhpur, Rajasthan.

Construction of four lane RoB in lieu of B-72 (Between Riktiya Bhairuji Chauraya & Rotary Circle), Jodhpur Rajasthan was awarded by Jodhpur Development Authority to M/s G.R. Infraprojects Ltd. vide agreement no. F38(1)/2013-14/EEZONE-ROB II/B-72 for contract amount Rs. 95,95,58,908/- Stipulated date of commencement of the work and stipulated date of completion as per the work order was 27.08.2013 and 26.02.2016 respectively.

Tender proceeding for above mentioned work was initiated on 10.01.2013 i.e. before date of implementation of RTPP Act. As per the provisions of the Standard Bidding documents & contract provisions, the rules, regulations & specifications etc prevailing 30 days prior to BID publication date are applicable. There were variations in quantities of few items after final approval of Design & Drawing from proof checker i.e. MNIT Jaipur. Based on final approved drawings by proof checker Interim Deviation statement was prepared & got approved by Director Engineering on dated 28.05.2014 detailed as under:-

S. No.	**Description**	**Amount (In Rs.)**
1	Excess Items	Rs. 16,92,92,403.69
2	Extra Items (BSR & Non BSR)	Rs. 2,43,36,667.23

In due course of execution and final approval of Design & drawing of railway portion by NWR HQ Jaipur, there were minor variations in earlier approved quantities dated 28.05.2014 whose approval from Competent Authority as per the then prevailing SOP was taken. In addition to above mentioned sanctions, approval of Extra items (Non BSR) & additional work of Retrofitting were got approved by EC held on dated 15.11.2017 & 09.02.2018 respectively.

ROB project completed in all respect on 08.05.2018 and opened for public traffic on dated 09.05.2018. ROB was inaugurated by Hon'ble Chief Minister on 21.06.2018. Final bill of the project have been prepared amounting to Rs. 108,10,67,965.78 including Extra Items (BSR + Non BSR) of amount Rs. 7,64,82,805.18 (7.97% of original Contract amount) and Excess item of amount Rs. 22,16,97,012.13 (23.10% of original Contract amount). As per present SOP, sanction of above mentioned Extra items (BSR & Non BSR) i.e. 7.97% of original contract amount lies within the competency of EC. Similarly, sanction of Excess item i.e. 23.10% of original contract amount lies within the competency of the JDC.

Hence, as per the provisions of present SOP, following additional sanction of Extra Item (BSR + Non BSR) and Excess item is required from EC beyond earlier sanctions:-

1. Extra Items (BSR & Non BSR)

S. No.	**Description**	**Amount (In Rs.)**
Part -A Previous Sanctioned Extra items (BSR + Non BSR)		
1	Extra Items (Non BSR) already approved by EC meeting held on dated 15.11.2017 vide Agenda no. 45	Rs. 1,22,64,266.00
2	Extra Items (BSR & Non BSR) already approved by EC meeting held on dated 09.02.2018 vide Agenda no.	Rs. 2,40,59,989.14

12.2.19

	2	
3	Extra Items (BSR) already approved by DE dated 28.05.2014	Rs. 2,43,36,667.23
	Total amount already sanctioned by EC & DE Part-A (Sum of 1+2+3)	**Rs. 6,06,60,922.37**
Part-B Extra item amount as per Final Bill		
	Total amount of Extra Items (BSR + Non BSR) as per Final Bill Part-B	Rs. 7,64,82,805.18
	Additional Sanction of Extra Items (BSR+Non BSR) required from EC (Part B- Part A)	**Rs. 1,58,21,882.81**

2. Excess Items

S. No.	**Description**	**Amount (In Rs.)**
Part -A Previous Sanctioned Excess items		
1	Excess Items already approved by DE dated 28.05.2014	Rs. 16,92,92,403.69
2	Excess Items already approved by EC meeting held on dated 09.02.2018 vide Agenda no. 2	Rs. 93,49,058.14
	Total amount already sanctioned by EC & DE Part-A (Sum of 1+2)	**Rs. 17,86,41,461.83**
Part-B Excess item amount as per Final Bill		
	Total amount of Excess Items as per Final Bill Part-B	**Rs. 22,16,97,012.13**
	Additional Sanction of Excess Items required from EC (Part B- Part A)	**Rs. 4,30,55,550.30**

Therefore, as per the Final bill of the project, Extra items (BSR + Non BSR) amounting to Rs. 7,64,82,805.18 (including previous sanctions) and Excess items amounting to Rs. 22,16,97,012.13 (including previous sanctions) is submitted herewith before EC for approval.

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण पूर्ण तथ्यों एवं विस्तृत सूचनाओं के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: Annual rate contract of strengthing & widening of road under jurisdiction of zone north कार्य के अन्तर्गत अधिक आईटम स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विशयान्तर्गत सन्दर्भित अनुबंध के तहत संवेदक से निम्न विवरण अनुसार आईटम वार अधिक मात्रा जो कि प्रत्येक आईटम के सामने अंकित है, एस.ओ.पी के बिन्दु संख्या 27 के अनुसार आईटम वार मात्रा जी भाडयुल से 30 प्रति ात से अधिक होने के कारण स्वीकृति की भाक्तियां कार्यकारी समिति मे निहित है।

क्र. सं.	As per G-sch iteam no /bsr no	विवरण	मात्रा As per G-sch	मात्रा As per site	अधिक मात्रा	अधिक मात्रा (प्रतिशत)
1	03	Transporation of excavated earth with all km.lead and lift	775 घन मीटर	1053.11 घन मीटर	278.11 घन मीटर	35.88

12.2.2019

2	05/6.1	Providing & appling primer coat ----do---- cleaning of road	3750 वर्ग मी	5600 वर्ग मी	1850 वर्ग मी	49.33
3	08/6.10.3	Providing & laying open graded pre mix carpet—do--- vg10	11250 वर्ग मी	15564.92 वर्ग मी	4314.92 वर्ग मी	38.35
4	09/6.12.8	seal coat type b premixed in approved HMP ---do---- lead	11250 वर्ग मी	15564.92 वर्ग मी	4314.92 वर्ग मी	38.35

चूंकि उक्त सन्दर्भित अनुबन्ध के तहत उच्च अधिकारियों के निर्दे ाानुसार कार्य सम्पादित करवाया गया है। अतः उपरोक्तानुसार अधिक आईटम की मात्रा 30 प्रति ात से अधिक होने के कारण स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उक्त प्रकरण में अधिक आईटम स्वीकृति की अधिकारिता अधीक्षण अभियन्ता की है। अतः प्रकरण अधीक्ष अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शोभावतो की ढाणी से विवेक विहार योजना होकर जोजरी नदी तक भैरव नाला निर्माण हेतु कार्यकारी समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा मे जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रू. 22.75 करोड़ के कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीशन सं. 7038/2015 माधोसिंह कच्छवाहा बनाम राज्य व अन्य के प्रकरण मे आदेश पारित कर प्राधिकरण के स्वामित्व मे स्थित भूमि मे भैरव नाले का निर्माण तुरन्त प्रारम्भ करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है तथा नाला निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि मे से जो भूमि निजी कृषि भूमि धारियो की है उनमे भूमि अवाप्ति आदि की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करने के पश्चात् नाला निर्माण करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गयें है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भैरव नाला निर्माण हेतु प्रस्तावित एनाइनमेंट की जो भूमि प्राधिकरण के कब्जे मे है उनमे नाला निर्माण का व्यय अनुमान तैयार किया गया है जो राशि रू. 22.75 करोड़ का है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण मे विकास मे विकास कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु गठित पब्लिक वर्क्स कमेटी (PWC) की बैठक दिनांक 05.10.18 मे उक्त कार्य करवाने हेतु राशि रू. 22.75 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु अनुशंषा की गई है।

पी.डब्लयु.सी. द्वारा जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की शर्त सं. 4 के अनुसार उक्त कार्य की राशि 5 करोड़ से अधिक है अतः स्वीकृति हेतु एजेन्डा तैयार कर कार्यकारी समिति मे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। चूंकि जोधपुर विकास प्राधिकरण की शक्तियो की अनुसुची के (S.O.P.) के बिन्दु सं. 1 के प्रावधान अनुसार 5 करोड से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार कार्यकारी समिति मे निहित होने से राशि रू. 22.75 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी

समिति के समक्ष प्रस्तुत होना था, परन्तु राज्य मे विधानसभा आम चुनाव हेतु आदर्श आचार सहिता लागु होने के कारण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सहमति हेतु प्रकरण प्राधिकरण के पत्रांक 3507 दिनांक 24.10.2018 के जरिए नगरीय विकास विभाग राजस्थान को भेजा गया, नगरीय विकास विभाग राजस्थान द्वारा पत्रांक 8(3) न विवि/1/ 2009 दिनांक 15.11.2018 के जरिए उक्त कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सहमति प्रदान कर दिये जाने पर दिनांक 05.10.2018 को आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति मे अनुमोदन की प्रत्याशा मे राशि रूपये 22.75 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई थी।

अतः कार्यकारी समिति के समक्ष प्रकरण पूर्व मे जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रू. 22.75 करोड़ की कार्योत्तर स्वीकृति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण में विभिन्न प्रकार के कार्मिकों की संविदा पर आपूर्ति बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्श 2018–19 के तहत जारी निविदा सूचना संख्या 09/2018–19 के आईटम सं. 01 जोधपुर विकास प्राधिकरण मे विभिन्न प्रकार के कार्मिको ककी संविदा पर आपूर्ति बाबत (24 माह) राि ा रू. 104.12 लाख की विभिन्न भााखाओ में कार्य संचालन हेतु कु ाल–25 एवं उच्च कु ाल–45 कुतल 70 संविदाकर्मी को लगाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई जिसमें एकल निविदा होने के कारण गठित कमेटी द्वारा कार्यादेश स्वीकृति हेतु कार्यालय टिप्पणी के पेरा नं. एन/98 के तहत कार्याकारी समिति की बैठक मे रखे जाने की अनु ांशा की गई।

अतः कार्यादेश स्वीकृति हेतु एजेन्डा तैयार कर कार्यकारी समिति मे स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार एकल निविदा होने एवं प्रस्तुत प्रकरण शिड्यूल ऑफ पावर के पार्ट –II (गुड्स एण्ड सर्विसेज) के क्रम संख्या 1 में 25.00 लाख रूपये से अधिक का कार्य होने से कार्यकारी समिति की अधिकारिता में आता है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रकरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण मे कम्प्युटर ऑपरेटर आपूर्ति का कार्य।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्ष 2018–19 के तहत जारी निविदा सूचना संख्या 09/2018–19 के आईटम सं. 02 जोधपुर विकास प्राधिकरण मे कम्प्युटर ऑपरेटर आपूर्ति बाबत (24 माह) राशि रू. 154.78 लाख की विभिन्न शाखाओ में कार्य संचालन हेतु कुल 60 कम्प्युटर ऑपरेटर को लगाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई जिसमें कार्यालय टिप्पणी के पेरा सं. एन/90 में गठित कमेटी के निणर्य अनुसार दर अनुमोदन पश्चात दर स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति की बैठक मे रखे जाने की अनुशंषा की गई। अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण मे कम्प्युटर ऑपरेटर के कार्य हेतु प्राप्त दर स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

12.2.19

निर्णय

बैठक में उपरोक्त शिड्यूल ऑफ पावर के पार्ट–II (गुड्स एण्ड सर्विसेज) के क्रम संख्या 1 में 25.00 लाख रूपये से अधिक का कार्य होने से कार्यकारी समति की अधिकारिता में आता है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रकरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: एस.ओ.पी. के आईटम संख्या 26 में संशोधन हेतु प्रस्तावित

वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर ने नोटिफिकेशन संख्या दिनांक 16.02.2018 द्वारा RTPPR की धारा 58,61,66,73 एवं 79एन में संशोधन किया गया है जिसके अर्न्तगत S.O.P के आईटम संख्या 26 में अतिरिक्त आईटम 5 प्रतिशत (value of original contract) तक ही स्वीकृत करवाया जा सकता है। अतः शक्तियों की अनुसूची संख्या 26 में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हैः–

वर्तमान में प्राधिकरण की sop			वित्त विभाग का संशोधित आदेश दिनांक 16.02.2018			संशोधन हेतु प्रस्तावित		
name of power	To whom delegated	Power	particulars	To whom delegated	Powers	name of power	To whom delegated	Power
To sanction execution and payment for extra itesm (BSR+Non BSR) as per bidding documents/ conditions of contract.	EC	total up to 50% subject to the condition that total value of these extra value of these extra items of existing items of the boq shall not exceed 50% of the original contract amount in any case as per provision of rtpp rule 73	To sanction execution and payment for extra itesm (BSR+Non BSR) as per bidding documents/ conditions of contract.	Bid Sanctioning Authority	Total up to 05% of the value of the original contract amount as per provision of RTPP Rule 73(2)	To sanction execution and payment for extra itesm (BSR+Non BSR) as per bidding documents/conditions of contract.	Bid Sanctioning Authority	Total up to 05% of the value of the original contract amount as per provision of RTPP Rule 73(2)
	JDC	total up to 30% of the original contract amount or rs. 40.00 lacs whichever is less						
	DE	total up to 15% of the original						

12-2-19

		contract amount or rs. 20.00 lacs whichever is less							
	SE	total up to 10% of the original contract amount or rs. 10.00 lacs whichever is less							
	EE	total up to 7.5% of the original contract amount or rs. 4.00 lacs whichever is less							

जो जाधेपुर विकास प्राधिकरण की S.O.P जो कि 01.05.2017 से प्रभावी है, में उक्त संशोधन करने हेतु आदेश क्रमांक 693 दिनांक 03.07.2018 द्वारा जारी किया जा चुका है।

अतः प्राधिकरण के S.O.P में व वित्त विभाग, जयपुर के द्वारा किये गये उक्त संशोधन करने हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण की वर्तमान शिड्यूल ऑफ पावर जो दिनांक 1 मई, 2017 से प्रभावी है में वित्त विभाग (जी एण्ड टी डिविजन) के आदेश संख्या एफ.2 (4) एफ.डी./ पी.डब्ल्यू.एफ. एण्ड आर./99 पार्ट–II दिनांक 22 मार्च, 2018 के कम में आईटम संख्या 26 की वर्तमान प्रविष्ठि में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान निदेशक–अभियांत्रिकी ने ध्यान आकर्षित किया कि प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर दिनांक 1 मई, 2017 में ए.डी./एफ.सी. ऑफ आर.डब्ल्यू. एस.एस.एम.बी. की शक्तियां प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को प्रदत्त थी और अब भी संशोधित प्रस्ताव में भी यह शक्तियां प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में ही निहित है। चूंकि जोधपुर विकास प्राधिकरण किसी भी प्रोजेक्ट की स्वीकृति/संशोधन आदि का सर्वोच्च अधिकार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में ही है। इसमें राज्य सरकार की किसी प्रकार की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है इसलिए संशोधन में जहां जहां भी एडमनसट्रेटिव डिर्पाटमेंट शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पर प्राधिकरण की कार्यकारी समिति शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इस पर निदेशक–वित्त कार्यकारी समिति के समस्त सदस्यगणों आदि से विचार विमर्श किया एवं उनके इस प्रस्ताव को नियमानुकूल मानते हुए स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। अतः प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर दिनांक 1 मई, 2017 के बिन्दु संख्या 26 की प्रविष्ठियां निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया तथा उक्त संशोधन दिनांक 22 मार्च, 2018 से प्रभावी माने जाने का निर्णय लिया गया:–

S.No	PARTICULAR	TO WHOM DELEGATED	POWERS
26-	To sanction execution and payment for extra items	PE/Bid Sanctioning Auathority	Total upto 05% of the value of the original contract amount as per provision of RTPP Rule 73 (2).

2.2.19

	(BSR+ Non BSR) as per bidding documents/ conditions of contreact	•	These powers shall be exercised subject to the following:- Note 1: Total amount of the work including additional quantities and extra items (BSR+ Non BSR) shall not exceed the administrative and financial sanction for the work. Note 2: Total amount of work i.e. tendered amount plus cost of additional quantities and extra items (BSR and Non BSR) do not exceed the monetary limit to accept bid. If the total amount (including additional and extra items (BSR and Non BSR)) exceeds the monetary limit to accept bid, the matter shall be referred to next highter authority. Note 3: The extra items should be part and parcel of the work under execution and should be fairly contingents to it and therefore the execution of items of works of different nature or execution of items or work of similar nature of another reach/ site shall not be treated as extra item. Note 4: Total cost of all extra items shall not exceed the limits specified above. Note 5: Revised estimates have been got approved from the competent authority if the items are not provided for in original estimates. Note 6: Scale of accommodation or norms, types, designs sanctioned by GAD/ higher authority are not exceeded. Note 7: Material deviations from designs and scope of the Project will require approval of the original sanctioning authority. Note 8: The rates of Non-BSR items shall be got approved from the DE (Director Engineering) before sanction of extra items. Note 9: The fair market value of such extra items payable by the Procuring Entity to the contractor shall be determined by the Procuring Entity in accordance with guidelines prescribed by the Executive committee of JoDA Jodhpur.

प्रस्ताव संख्या 10 :: एस.ओ.पी. के आईटम संख्या 19 में संशोधन हेतु प्रस्तावित

वित्त विभाग सूचना संख्या दिनांक 06.08.2018 (आर.टी.पी.पी रूलस 2013) 17,40,42,43,68,75 तथा नियम 32 में सीरियल नं. 38,39,42 व सामान्य शर्त सं. IV में संशोधन किया गया है।

12.2.15

प्राधिकरण की नवीन शक्तियों की अनुसूची दिनांक 01.05.2017 से प्रभावी है, के संदर्भ में पूर्व में EC की प्रत्याक्षा में सक्षम स्तर से संशोधन किया जा चुका है।

शक्तियों की अनुसूची आईटम 19 में बिड को finalized करने हेतु समयावधि निम्नानुसार प्रस्तावित है।

वर्तमान में प्राधिकरण की sop			वित्त विभाग का संशोधित आदेश दिनांक 06.08.2018			संशोधन हेतु प्रस्तावित		
s.no	**To whom delegated**	**Power**	**s.no**	**To whom delegated**	**Power**	**S.No**	**To whom delegated**	**Power**
1	Authority	70 days	1	Administrative Department concerned/Finance Committee/Board/Empowered Committee/Empowered Board etc.	50 days	1	Authority	50 days
2	EC	60 days	2			2	EC	45 days
3	JDC	50 days	3	Head of the Department or CE/ACE	40 days	3	JDC	40 days
4	DE	40 days	4	Regional officer or SE	30 days	4	DE	35 days
5	SE	30 days	5			5	SE	30 days
6	EE	20 days	6	Head of office or EE	20 days	6	EE	20 days

अतः उपरोक्त शक्तियों की अनुसूची के आईटम संख्या 19 में संशोधन हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर दिनांक 1 मई, 2017 से प्रभावी है, में प्राधिकरण बैठक को अन्तिम सक्षम बैठक माना गया है परन्तु बैठक में निदेशक–अभियांत्रिकी ने अवगत कराया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में किसी भी प्रोजेक्ट को स्वीकृत करने का सर्वोच्च अधिकार कार्यकारी समिति को प्रदत्त है। इसमें राज्य सरकार या प्रशासनिक विभाग से कोई अनुमति लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। लिहाजा जहां जहां वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 6 अगस्त, 2018 में संबंधित प्रशासनिक विभाग (एडमनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट कन्सॅन)/फाईनेन्स कमेटी/बोर्ड /एम्पावर्ड कमेटी/ एम्पावर्ड बोर्ड आदि शब्द का प्रयोग हुआ है, वहां प्राधिकरण की कायकारी समिति को माना जावे। जिस पर निदेशक–वित्त एवं कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति जारी की एवं प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर के बिन्दु संख्या 19 को निम्न अनुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त दिनांक 6 अगस्त, 2018 से प्रभावी माना जावेगा:–

A decision on acceptance or rejection of bids invited in a procurement process must be taken by the competent sanctioning authority within the period as given below, even if the

12.2.2019

period of validity may be more, from the date of opening of technical bids where two envelope system is followed, otherwise from the date of opening of financial bids. If the decision is not taken within the given time period by the concerned sanctioning authority, reasons for not taking decision within the given time period shall be specifically recorded by the competent sanctioning authority while taking its decision.

Table
Time schedule for decision on the bids by the competet authority

S. No.	Authoiryt competent to take decision	Time allowed for decision
1	2	3
1-	Head of Office or Executive Engineer	Twenty days
2-	Regional Officer of Superintending Engineers	Thirty Days
3-	Head of the Department or Chief Engineer/ Additional Chief Engineer/ Director Engineering	Forty days
4-	Executive Committee, JoDA Jodhpur	Fifty days

Note; (i) The period speciied above shall be inclusive of time taken in communication of acceptance of bid.

(ii) If procuring entity is other than the departments of the State Government or its attached or subordinate offices, the concerned administrative department shall specify the equivalent authority competent to take decision on the bid.

प्रस्ताव संख्या 11 :: एस.ओ.पी. के आईटम संख्या 27 में संशोधन हेतु प्रस्तावित

वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर ने नोटिफिकेशन संख्या दिनांक 22.03.2018 द्वारा RTPPR की धारा 73 (2) में संशोधन किया है जिसके अर्न्तगत S.O.P के आईटम संख्या 27 में EXCESS ITEM में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है:–

वर्तमान में प्राधिकरण की Sop			वित्त विभाग का संशोधित आदेश दिनांक 22.03.2018			संशोधन हेतु प्रस्तावित		
name of power	To whom delegated	Power	name of power	To whom delegated	Power	name of power	To whom delegated	Power
To sanction execution and payment of additional quantities of items extising in schedul e-G or bill of	EC	up to 50% of the original quantities of each item subject to 50% of the original contract amount	To sanction execution and payment of additional quantities of items extising in schedul e-G or bill of	AD/FC OF RWSSMB	up to 50% of the original contract amount	To sanction execution and payment of additional quantities of items extising in schedul e-G or bill of	EC	up to 50% of the original contract amount
	JDC	up to 30% of		CE	up to 35%		JDC	up to 35%

2.2.19

quantities (BOQ) of a particular work		the original quantities of each item subject to 30% of the original contract amount	quantities (BOQ) of a particular work		of the original contract amount	quantities (BOQ) of a particular work		of the original contract amount
	DE	up to 15% of the original quantities of each item subject to 15% of the original contract amount		ACE	up to 25% of the original contract amount		DE	up to 25% of the original contract amount
	SE	up to 10% of the original quantities of each item subject to 10% of the original contract amount		SE	up to 08% of the original contract amount		SE	up to 08% of the original contract amount
	EE	up to 7.5% of the original quantities of each item subject to 7.5% of the original contract amount		EE	up to 05% of the original contract amount		EE	up to 05% of the original contract amount

प्राधिकरण जोधपुर की S.O.P जो कि 1.5.2017 से प्रभावी है, में उक्त संशोधन करने हेतु आदेश क्रमांक 15 दिनांक 03.01.2019 द्वारा जारी किया जा चुका है।

अतः प्राधिकरण के S.O.P में व वित्त विभाग, जयपुर के द्वारा किये गये उक्त संशोधन करने हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण की वर्तमान शिड्यूल ऑफ पावर जो दिनांक 1 मई, 2017 से प्रभावी है में वित्त विभाग (जी एण्ड टी डिविजन) के आदेश संख्या एफ.2 (4) एफ.डी./ पी.डब्ल्यू.एफ. एण्ड आर./99 पार्ट–II दिनांक 22 मार्च, 2018 के क्रम में आईटम संख्या 27 की वर्तमान प्रविष्ठि में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान निदेशक–अभियांत्रिकी ने ध्यान आकर्षित किया कि प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर दिनांक 1 मई, 2017 में ए.डी./एफ.सी. ऑफ आर.डब्ल्यू. एस.एस.एम.बी. की शक्तियां प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को प्रदत्त थी और अब भी संशोधित प्रस्ताव में भी यह शक्तियां प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में ही निहित है। चूंकि किसी भी प्रोजेक्ट की स्वीकृति/संशोधन आदि का सर्वोच्च अधिकार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में ही ही है। इसमें राज्य सरकार की किसी प्रकार की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है इसलिए संशोधन में जहां जहां भी एडमनसट्रेटिव डिर्पाटमेंट शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पर प्राधिकरण की कार्यकारी समिति शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इस पर निदेशक–वित्त कार्यकारी समिति के समस्त सदस्यगणों आदि से विचार विमर्श किया एवं उनके इस प्रस्ताव को नियमानुकूल मानते हुए स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। अतः प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर दिनांक 1 मई, 2017 के बिन्दु संख्या 27 की प्रविष्ठियां निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया तथा उक्त संशोधन को दिनांक 22 मार्च, 2018 से प्रभावी माने जाने का निर्णय लिया गया:–

S No	PARTICULAR	TO WHOM DELEGATED	POWERS
27-	To sanction execution and payment of additional quantities of items existing in schedule- G or bill of quantities (BOQ) of a particular work.	1- E.C.	Upto 50% of the original contract amount.
		2- CE/DE	Upto 25% of the original contract amount.
		3- ACE/DE	Upto 10% of the original contract amount.
		4- SE	Upto 8% of the original contract amount.
		5- EE	Up to 5% of the original contract amount.
			In case the above limits exceed, the powers shall be exercised by the next higher authority (maximum upto A/D) assessing the prevalent tender premium, site and market conditions subject to the maximum limit of 50% as per the provosions of Rule 73(3) of RTPP Rules, 2013. These powers shall be exercised subject to the following conditions: Note 1: Total amount of work including additional quantities (BSR+Non BSR) shall not exceed 50% of the value of original contract in the any case as per provosions of RTPP Rule 73 (3).

12.2.19

Note 2: Total amount of the work including additional quantities and extra items (BSR + Non BSR) should not be exceed the administrative and financial sanction for the work.

Note 3 : Total amount of work i.e. tendered amount plus cost of additional quantities and extra items (BSR + Non BSR) shall not exceed the monetary limit to accept bid. If the total amount (including additional and extra items (BSR and Non BSR) exceeds the monetary limit to accept bid, the matter shall be referred to next highter authority.

Note 4: The additional quantities should be part and parcel of the work under execution and therefore even the execution of works of different nature or execution of quantities/ work of similar nature of another reach/site shall not be treated as additional quantitiy.

Note 5: Revised estimates, if required, have been approved by the competent authority.

Note 6: Provided that in exceptional circumstances and without changing the scope of work envisaged under the contract, a procuring entity may procure additional quantities beyond 50% of the quantity of the individual items as provided in the original work order with prior approval of the Executive Committee of Jodhpur Development Authority, Jodhpur (JoDA, Jodhpur) concerned as follows:

(i) the procuring entity shall obtain prior approval for revised requirements from the competent authority for reasons to be recorded in writing. Wherever necessary, due to the quantum of orders for additional quantities, the procuring entity shall obtain prior and revised technical, financial and administrative sanctions from the competent authorities;

(ii) that the additional quantities so procured shall be part and parcel of the work being executed;

(iii) that the limit of 50% of the value of original contract shall not be exceeded in any case.

Note 7: Order for additional quantity may be placed, if allowed in bidding documents/ contract and the original order was given after inviting open competitive bids.

12.2.19

प्रस्ताव संख्या 12 :: ओवर ड्राफ्ट उपयोग करने की अवधि बढाने बाबत्।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया इण्डस्ट्रीयल इस्टेट शाखा, जोधपुर से अपने खाते में रूपये 40.00 करोड़ तथा बैंक ऑफ महाराश्ट्र पावटा शाखा से रूपये 20.00 करोड़ की अधिविकर्श की सुविधा उपलब्ध है। हॉलाकि अभि इसका उपयोग नही किया जा रहा है।

दोनो ही बैकों से प्राप्त अधिविकर्श की सुविधा उपयोग करने की अवधि बढाया जाना उचित होगा। अतः सुविधा उपभोग की अवधि वित्तीय वर्श 2018–19 व 2019–20 के लिये बढाये जाने हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति (ई.सी) में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। संलग्नः– बैक से प्राप्त अधिविकर्श नवीनीकरण की प्रति

निणर्य

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। निदेशक–वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी ओवर ड्राफ्ट की सुविधा के साथ 75 प्रतिशत से कम राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में करने पर निर्धारित चार्जेज लगाने के बारे में भी अवगत कराया है। बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह बात जानकारी में आयी कि प्राधिकरण में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट एवं नवीन कार्य आवश्यकता अनुसार होते रहते है इसलिए इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्राधिकरण को ओवर ड्राफ्ट उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़े। चूंकि भारतीय स्टेट बैंक, औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआई इण्डस्ट्रीयल इस्टेट) शाखा राष्ट्रीयकृत बैंक है। अतः सरकार के नियमों के अनुसार पालना करते हुए वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए अधिविकर्ष (ओवर ड्राफ्ट) सुविधा उपयोग किये जाने की अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राजस्व मण्डल, माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग आदि विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध अपील/नो अपील का निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण स्तर पर स्थाई समिति का गठन किए जाने बाबत्।

माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राजस्व मण्डल, माननीय सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, माननीय राष्ट्रीय/राज्य उपभोक्ता आयोग तथा अन्य समस्त राजस्व एवं सिविल न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का परीक्षण कर प्राधिकरण हित में अपील अथवा नो अपील का निर्णय करने हेतु, राज्य सरकार के अन्य विभागों के समान एक उच्च स्तरीय स्थाई समिति का जोधपुर विकास प्राधिकरण में गठन किया जाना आवश्यक है ताकि समस्त प्रकरणों में अपील/नो अपील पर लिए गए निर्णयों में एकरूपता बनी रहे।

राज्य सरकार के अन्य विभागों में संबंधित विभाग के शासन सचिव की अध्यक्षता में स्थाई समिति का गठन किया गया है। जिनमें निम्नलिखित सदस्य होते है :–

1. वित्त विभाग का प्रतिनिधि (जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से कम ना हो)
2. विधि विभाग का प्रतिनिधि (जो उप शासन सचिव से निम्न स्तर का ना हो)
3. कार्मिक विभाग का प्रतिनिधि (जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से कम ना हो)
4. संबंधित विभागाध्यक्ष बतौर सदस्य सचिव

अतः अन्य विभागों की उक्त समिति के समान ही जोधपुर विकास प्राधिकरण में विभिन्न न्यायालयों एवं अधिकरणों आदि के द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध एक उच्च स्तर की स्थाई समिति का गठन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :–

1. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर — अध्यक्ष
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर — सदस्य
3. निदेशक (वित्त), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर — सदस्य
4. निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर — सदस्य
5. संबंधित उपायुक्त/निदेशक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर — सदस्य
6. सहायक विधि परामर्शी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर — सदस्य सचिव

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में न्यायिक प्रकरणों में पारित आदेशों एवं निर्णयों का परीक्षण कर अपील करने अथवा अपील नहीं करने का निर्णय लेने हेतु निम्न उच्च स्तरीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i).	आयुक्त	–	अध्यक्ष
(ii).	सचिव	–	सदस्य
(iii).	निदेशक विधि	–	सदस्य
(iv).	निदेशक वित्त	–	सदस्य
(v).	निदेशक अभियांत्रिकी/आयोजना	–	सदस्य (यदि प्रकरण अभियांत्रिकी अथवा आयोजना से संबंधित है)
(vi).	संबंधित उपायुक्त	–	सदस्य
(vii).	सहायक विधि परामर्शी	–	सदस्य सचिव

उच्च स्तरीय समिति द्वारा यदि किसी प्रकरण में पारित आदेश/निर्णय पर अपील करने अथवा अपील नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका है, तो भविश्य में प्राप्त होने वाले ऐसे समान प्रकरणों में पारित आदेशों/निर्णय के विरूद्ध अपील करने अथवा अपील नहीं करने हेतु प्रकरण उच्च स्तरीय समिति को प्रेषित नहीं किया जायेगा। बल्कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा पुर्व में लिये गये निर्णय के आधार पर अपील करने अथवा अपील नहीं करने का अन्तिम निर्णय आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर से लिया जा सकेगा।

प्रस्ताव संख्या 14 :: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के समान जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मार्ग आरक्षित कर प्रतिकर आदि का निर्धारण करने हेतु नीति निर्धारण करना।

ले–आउट प्लान एवं भूमि संपरिवर्तन के अनेक मामलों मे आवेदक को अपनी खातेदारी भूमि मे पहुंचने के लिए न्यूनतम पहुंच मार्ग आवश्यक होता है। कई बार आवेदक का भूखण्ड/भूमि इस प्रकार अवस्थित होती है कि उस तक पहुंचनें के लिए जोविप्रा की भूमि मे से होकर जाना पडता है। प्रभावी नियमों मे इस प्रकार का कोई प्रावधान नही है जिससे कि इस प्रकार की भूमि को रास्ते के लिए आरक्षित रखा जाकर आवेदक को पहुंच की सुविधा मिल सकें। परन्तु इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए किसी भी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचनें के लिए किसी अन्य खातेदार की भूमि मे से मार्ग देने का प्रावधान करती है। जिसके लिए उक्त क्षेत्रफल की प्रचलित डी.एल.सी. की दुगुना दर से प्रतिकर की राशि प्रभावित खातेदार को दी जानी होती है।

इसी प्रकार राजस्व ग्रुप–6 राज. सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 द्वारा राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के प्रावधान दिये गये है इसमे भी कृषि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत करने का प्रावधान है। जोधपुर

12-2-19

विकास प्राधिकरण की भूमि मे उपरोक्त प्रकार के प्रकरण प्रस्तुत होने पर एकरूपता को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग आरक्षित कर प्रति कर की दर आदि का निर्धारण किया जाने हेतु निति निर्धारण करने के लिए प्रस्ताव प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण में निहित भूमि पर मार्गाधिकार निम्नलिखित शर्तों पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव अनुमोदित कर राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है :–

1. प्राधिकरण में निहित भूमि जो कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही हो परंतु राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज हो अथवा नहीं हो।

2. प्राधिकरण में निहित ऐसी भूमि जो कदीमी रास्ते के रूप में तो उपयोग में नहीं आ रही हो किंतु उस पर मार्गाधिकार स्वीकृत करने से प्राधिकरण के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हो।

3. प्राधिकरण में निहित ऐसी भूमि जो कदीमी रास्ते के रूप में तो उपयोग में नहीं आ रही हो किंतु उस पर मार्गाधिकार स्वीकृत करने सें भूमि का ऐसा विभाजन नहीं होता हो कि शेष बची प्राधिकरण की भूमि की उपयोगिता कम हो जाए।

4. प्राधिकरण में निहित ऐसी भूमि जो कदीमी रास्ते के रूप में तो उपयोग में नहीं आ रही हो किंतु उस पर मार्गाधिकार स्वीकृत करने से मास्टर/जोनल योजना की सडकों/मार्गों पर विपरीत प्रभाव नहीं पडता हो।

5. प्राधिकरण में निहित भूमि पर मार्गाधिकार उपलब्ध कराने के पश्चात् उक्त मार्ग पर आवेदक का कोई विशेषधिकार/स्वामित्व नहीं होगा। मार्ग की भूमि प्राधिकरण में ही निहित रहेगी तथा सार्वजनिक मार्ग के रूप में उपयोग में ली जाएगी।

6. प्राधिकरण में निहित भूमि पर राज्य सरकार तथा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के द्वारा निर्धारित चौडाई का ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

7. प्राधिकरण में निहित भूमि पर मार्गाधिकार राज्य सरकार तथा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के तहत मार्गाधिकार स्वीकृत करने का निर्णय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा ही लिया जा सकेगा तथा कोई व्यक्ति अधिकार के रूप में इसकी मांग नहीं कर सकेगा।

8. प्राधिकरण में निहित भूमि पर मार्गाधिकार की स्वीकृति जारी होने के पश्चात् मार्ग को जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिग्रहण अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

9. प्राधिकरण में निहित भूमि पर मार्गाधिकार की स्वीकृति राज्य सरकार तथा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि आवेदक द्वारा भुगतान किए जाने के पश्चात् ही जारी की जा सकेगी।

10. मार्गाधिकार की स्वीकृति की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् यदि आवेदक धारा 90–ए की कार्यवाही प्रत्याहरित (withdraw)/निरस्त करवाता है, तो ऐसी स्थिति

12.2.19

में आवेदक द्वारा मार्गधिकार हेतु जमा कराई गई क्षतिपूर्ति राशि रिफण्ड नहीं की जाएगी।

साथ ही प्राधिकरण में निहित भूमि पर मार्गाधिकार की स्वीकृति हेतु क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजकीय) नियम 1955 कि धारा 70 में किए गए प्रावधान के समान जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा निर्धारित दर की दो गुना दर से क्षतिपूर्ति राशि ली जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: पाक विस्थापितो को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने के बाद आवासीय भूखण्डो का आवंटन करने बाबत्।

पाक विस्थापितों को पुनर्वास हेतु भूमि खसरानं. 28 में 500 बीघा भूमि आरक्षित की गयी है। जिसके संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक प3(154) नविवि/3/2013 दिनांक 5.8.2013 के अनुसार प्रश्नगत भूमि आरक्षित दर पर, आय वर्ग अनुसार आवास भूखण्ड आवंटन किये जाने बाबत् प्रकरण को विषेष प्रकरण मानते हुए राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) के नियम– 1974 के नियम 18(बी) के अंर्तगत आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार के पत्रांक प–1(88)नविवि/जोधपुर/2017 दिनांक 5.2.2018 के अनुसार खसरा नं. 28 की 500 बीघा भूमि का भ्पससल दक तवबाल से आवासीय भू उपयोग परिवर्तन किए जाने पर यदि पर्यावरण पर कोई विरित प्रभाव नही पडता है एवं प्रश्नगत भूमि को ईकोलोजिकल जोन चिन्हित नही किया गया हो, तो व्यापक जनहित (स्ंतहम च्नइसपब प्दजमतमेज) के परिपेक्ष्य में आवासीय प्रयोजनार्थ भूउपयोग परिवर्तन नियमानुसार किए जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की गई। प्राधिकरण के आयोजना शाखा अधिकारी द्वारा मास्टर प्लान 2023 में Hilly and rocky यूज में पृथक से ईकोलोजिकल जोन की अधिसूचना/चिन्हीकरण की सूचना उपलब्ध होना बताया है।

नगरीय विकास विभाग की पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने के बाद आवासीय भूखण्डो के आवंटन बाबत नीति कमांक प. 1(8) नविवि/जयपुर/2017 दिनांक 10 मई, 2018 में स्पष्ट किया है कि 100 वर्ग मीटर तक भूखण्डो का आवंटन किया जा सकता है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के भवन मानचित्र समिति (ले–आउट) प्लान की बैठक दिनांक 3.10.2018 को पाक विस्थापित को भूखण्ड आवंटन हेतु योजना का ले–आउट प्लान जारी किया गया था। बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है तथा उपरोक्त योजना की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयाथ हेतु प्रस्तुत है। संलग्न 1– राज्य सरकार से प्राप्त पाक विस्थापितो को भूखण्ड आवंटन की प्रति संलग्न है। 2 ले–आउट प्लान बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं निदेशक–आयोजना ने समिति के समक्ष पाक विस्थापितों को भूखण्ड आवंटन हेतु योजना का नक्शा प्रदर्शित किया। उक्त योजना पाक विस्थापितों के लिए तेयार की गयी है। इस योजना में भूखण्ड़ों का आवंटन नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के पत्र कमांक प.1 (8) नविवि/जयपुर/2017 दिनांक 10 मई, 2018 में दिये गये निर्देशों के कम में किये जाएंगे। पाक विस्थापित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने के बाद आवासीय भूखण्डों के आवंटन बाबत नीति के बिन्दु संख्या 4,3 में यह उल्लेख है कि, "आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल यदि 60 वर्गमीटर तक है तो भूखण्ड की कीमत क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत होगी और यदि भूखण्ड का

आकार 60 वर्गमीटर से अधिक लेकिन 90 वर्गमीटर तक है तो भूखण्ड की कीमत क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत होगी है। यदि भूखण्ड का क्षैत्रफल 90 वर्गमीटर से अधिक है तो 90 वर्ग मीटर से अधिक के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर शतप्रतिशत आरक्षित दर के आधार पर गणना कर भूखण्ड की कीमत आवंटी से वसूल की जायेगी।'' इसके अनुसार प्रस्तुत नक्शे का अवलोकन किया गया एवं निदेशक–आयोजना ने अवगत कराया कि प्रस्तुत नक्शे में निम्न अनुसार भूखण्ड उपलब्ध हो रहे हैं:–

क्र.सं.	भूखण्ड का क्षैत्रफल वर्ग मीटर में	उपलब्ध भूखण्डों की संख्या
1–	60.2	288
2–	74.32	540
3–	83.61	892
4–	92.90	2
5–	104.91	20
	योग	1742

विचार विमर्श के दौरान यह बात जानकारी में आयी कि आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड़ों का क्षेत्रफल यदि 60 वर्ग मीटर तक है तो आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों की कीमत क्षेत्र की आरक्षित दर की 25 प्रतिशत होगी। चूंकि प्रस्तुत नक्शे में भूखण्डों की न्यूनतम साईज 60.2 वर्ग मीटर है जो 60 वर्ग मीटर से अधिक है। अतः पाक विस्थापित नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए इन भूखण्डों का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर तक करने के निदेशक–आयोजना को निर्देश दिये गये एवं निदेशक–अभियांत्रिकी को निर्देशित किया गया कि वे इस योजना की आरक्षित दर की नियमानुसार गणना भी तत्काल करवा लें। उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए उक्त योजना का अनुमोदन किया गया एवं संशोधित नक्शा मय आरक्षित दर की गणना के प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जिसके पश्चात् आवेदन–पत्र आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रस्ताव संख्या 16 :: श्री रणजीत जोशी रामराज नगर आवासीय योजना (अधिवक्ता) को आवंटित भूखण्ड 295 (कॉर्नर) सेक्टर 1 को अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत्।

प्रार्थी श्री रणजीत जोशी अधिवक्ता द्वारा रामराज नगर आवासीय योजना (अधिवक्ता) का आवेदन किया गया था। रामराज नगर आवासीय योजना (अधिवक्ता) की लॉटरी दिनांक 22.2.2018 में प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 295 कॉर्नर सेक्टर 1 55x89 454.75 वर्गमीटर का आवंटन हुआ था। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूखण्ड की राशि जमा नही करायी है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त भूखण्ड पर अतिक्रमण है जिसके कारण प्राधिकरण कनिष्ठ अभियंता से मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने पर मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड सं. 295 सेक्टर 1 के भूखण्ड पर अतिक्रमण होना दर्शाया है। अतः भूखण्ड पर अतिक्रमण होने से प्रार्थी को आवंटन पत्र जारी नही किया गया एवं प्रार्थी को एक से अधिक आवेदन हेतु नोटिस दिया गया। नोटिस के जवाब में प्रार्थी ने बताया कि मैं कई वर्षो से आय का रिर्टन भरता हूं तथा दोनो पुत्र एवं पुत्रवधु को भूखण्ड आवंटन है जो अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपने परिवार के साथ निवास कर रहे है।

अतः भूखण्ड पर अतिक्रमण होने से प्रार्थी को इसी योजना में कॉर्नर भूखण्ड समान आकार का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयाथ प्रस्तुत है।

12.2.19

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। प्रार्थी श्री रणजीत जोशी, अधिवक्ता को प्राधिकरण की रामराज नगर आवासीय योजना (अधिवक्ता हेतु) की लॉटरी दिनांक 22 फरवरी, 2018 को प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 295 (कॉर्नर) सेक्टर–1, राजराज नगर आकार 55 फीट गुणा 89 फीट अर्थात् 454.75 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटित हुआ था। मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड पर अतिक्रमण है। प्रार्थी को भूखण्ड पर अतिक्रमण होने की जानकारी मिलने पर आवंटन–पत्र जारी नहीं किया गया है। बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य भी जानकारी में आया कि प्रार्थी के दो पुत्र एवं एक पुत्रवधु को भी भूखण्ड़ इसी योजना में आवंटित हुए है। प्रार्थी के दोनों पुत्र पृथक से अधिवक्ता का कार्य कर रहे है इसलिए निदेशक–विधि की राय के अनुसार दोनों पुत्रों को अलग से भूखण्ड आवंटन में कोई विधिक बाधा नहीं है। श्री रणजीत जोशी के एक पुत्र श्री विश्वजीत जोशी को भूखण्ड संख्या 131 सेक्टर–1 रामराजनगर एवं उनकी पत्नि श्रीमती स्मिता व्यास को भूखण्ड संख्या 129 सेक्टर–1 रामराज नगर आवंटित हुआ था। उसमें श्री विश्वश्जीत जोशी अधिवक्ता ने अपना भूखण्ड संख्या 131 सेक्टर–1 जरिये कार्यालय आदेश कमांक एफ 46/ आवंटन (पश्चिम)/2018/ 3047 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 निरस्त करवा लिया है और उनकी पत्नि श्रीमती स्मिता व्यास को आवंटित भूखण्ड संख्या 129 सेक्टर–1 रामराज नगर यथावत् है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री रणजीत जोशी, अधिवक्ता को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 295 (कॉर्नर) सेक्टर–1, राजराम नगर को निरस्त करते हुए इसी योजना में लगभग समतुल्य आकार का भूखण्ड (कॉर्नर) नियमानुसार राशि वसूल करते हुए आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: भूखण्ड संख्या 177, 181 व 197 सेक्टर–04, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा के भूखण्डों को बहाल करने के संबंध बाबत्।

जोधपुर नगर विकास न्यास द्वारा दिनांक 02.09.2008 को रामराज नगर योजना, चौखा में तत्समय यू.आई.टी.(वर्तमान जो.वि.प्रा.) में प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए कर्मचारी श्री किशनसिंह पटवारी, श्री जगदीश पुरोहित पटवारी व श्री प्रेमप्रकाश पटवारी को रामराज नगर योजना, चौखा मे क्रमंशः भूखण्ड संख्या 197, 181 व 177 सेक्टर–04 में आरक्षित दर पर आवंटन किये गये थे। आवंटन के पश्चात् उक्त कर्मचारियों द्वारा भूखण्ड की राशि भी कार्यालय में जमा करवा दी गई थी परन्तु लीजडीड जारी नही की गई थी। इसी बीच दिनांक 23.11.2012 को राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प.3(1230) न.वि.वि/3/2011 दिनांक 23.11.2012 को एक आदेश जारी कर निर्देश प्रदान किये गये कि नगर सुधार न्यास में **प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए कार्मिकों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन नहीं किये जावें।** उक्त आदेश का फ्लैग –ए पर अवलोकन फरमावें।

इस सम्बन्ध में निवेदन हैं कि उपरोक्त तीनों कार्मिकों को उक्त भूखण्ड आवंटन दिनांक 02.09.2008 को आवंटित किये गये थे। राज्य सरकार का उक्त आदेश आवंटन के चार वर्ष पश्चात् का हैं साथ ही निवेदन है कि उक्त कर्मचारियों को उपरोक्त भूखण्ड रियायती दर पर आवंटन नहीं करके आरक्षित दर पर आवंटित किये गये हैं।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(1230) न.वि.वि/3/2011 दिनांक 23.11.2012 एवं क्रमांक प.3(570)नविवि/3/2010 दिनांक 25.03.2013 की अनुपालना में उपरोक्त तीनों कार्मिकों को आवंटित भूखण्डों को दिनांक 17/06/2013 को निरस्त करते हुवे कीमत राशि एवं साईट प्लान शुल्क सहित राशि आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति उपरान्त लौटाये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी एवं आवंटित भूखण्डों को पुनः निलामी मे रखें जाने के निर्देश दिये।

12.2.19

उक्त आदेश से व्यथित होकर प्राधिकरण के विरूद्ध तीनों कार्मिकों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में भूखण्ड पुनः बहाल करने हेतु सिविल रिट संख्या 9230/13 दायर कर रखी है। जिसमें प्राधिकरण पक्षकार हैं। एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 9232/2013 के निर्णय दिनांक 24.04.2018 के अनुसार आवंटियों के भूखण्ड संख्या 177, 181 व 197 सेक्टर-04, रामराज नगर में भूखण्डों को बहाल करते हुए लीजडीड जारी करने के आदेश प्रदान किये है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया एवं पत्रावली में लिये गये निर्णय अनुसार एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 9232/2013 के निर्णय दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के अनुसार आवंटियों के भूखण्ड संख्या 177, 181 व 197 सेक्टर-4 रामराज नगर में भूखण्डों को बहाल करते हुए वर्तमान आरक्षित दर से राशि वसूल कर लीज डीडजारी करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: माता का थान भू अवाप्ति प्रस्ताव अनुमोदनार्थ

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर प्रकरण संख्या डीबीसी/7038/2015 माधो सिंह कच्छवाहा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 13.11.2018 की पालना में जोधपुर शहर में बरसाती पानी के सुगम निकासी हेतु भविष्यगामी योजना को दृष्टिगत रखते हुए माता का थान सारण नगर रेलवे लाईन मुख्य बाईपास पर प्रस्तावित नाला निर्माण हेतु प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला व तहसील जोधपुर के ग्राम नान्दडी, पूंजला, खोखरिया व गुजरावास खुर्द के विभिन्न खसरान् की निजी खातेदारी भूमि की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में अधिशाषी अभियंता जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा पत्रांक 2134 दिनांक 07.03.2018 तहसीलदार राजस्व जोधपुर को लिखा गया। तहसीलदार जोधपुर ने अपने पत्रांक भूअ/2018/1128 दिनांक 22.03.2018 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रस्तावित एलायेमेंट अनुसार माता का थान नाला निर्माण के प्रभावित गांवों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.स.	गांव का नाम	कुल खसरों की संख्या	अवाप्ताधीन भूमि का रकबा बीघा में	वर्गफीट	प्रचलित बाजार दर (डीएलसी दर) प्रति बीघा
1	नान्दडी	03	05.01.00	87991	4796880/-
2	पूंजला	10	09.06.00	162043	6193710/-
3	खोखरिया	28	16.18.07	294771	3407880/-
4	गुजरावास खुर्द	04	03.07.16	57067	2099970/-
	योग 04 चार गांव	45 खसरे	34.13.03	601872	—

प्रस्तावित माता का थान नाले के एलायमेंट अनुसार नाले की चौडाई 30 फीट एवं लम्बाई लगभग 7.5 किलोमीटर है जो उपरोक्त 4 गांवों के विभिन्न खसरान् की लगभग कुल 34 बीघा 13 बिस्वा 03 बिश्वांशी निजी खातेदारी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। तहसीलदार उत्तर की रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 के अनुसार वर्तमान प्रचलित बाजार दर (डीएलसी) के तहत कुल भूमि की कीमत 14,65,97,455/- बतलाई है।

12.2.19

भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत संभावित मुआवजा राशि का निर्धारण/गणना रहेगी।

क	सभी गांवों की डीएलसी दर अनुसार संभावित कीमत	14,65,97,455/–
ख	शत प्रतिशत सोलेशियम राशि	14,65,97,455/–
ग	10 प्रतिशत भौतिक संरचना एवं पेडों की राशि	2,93,19,491/–
	अवाप्ति हेतु संभावित व्यय का योग	32,25,14,401/–
घ	धारा 11 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से अंतिम अवार्ड जारी होने की तिथि तक की ब्याज राशि की गणना की जानी बाद में संभव होगी।	
ड	नाला निर्माण हेतु संभावित राशि तकनीकी अधिकारियों द्वारा गणना कर अलग से बतलाया जाना संभव होगा।	

उक्त माता का थान नाला निर्माण की सीमा में आने वाली भूमि पर स्थित भौतिक संरचनाओं एवं खडे पेडों की स्थिति ज्ञात करने एवं राजस्व अभिलेख अनुसार प्रभावित भूमिधारकों/खातेदारों की सूची तैयार करने हेतु प्राधिकरण के अभियांत्रिकी शाखा के तकनीकी अधिकारी, राजस्व शाखा के तहसीलदार एवं पटवारी तथा तहसीलदार राजस्व जोधपुर की एक संयुक्त टीम बनाई जाकर अवाप्ति संबंधी विस्तृत सर्वे कर वांछित पालना रिपोर्ट शीघ्रताशीघ्र पेश करने हेतु पाबंद किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर भूमि पर स्थित भौतिक संरचनाओं एवं पेडों का मूल्यांकन करते हुए वर्तमान प्रभावित डीएलसी दर के अनुसार गणना की जाकर भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जानी संभव होगी।

अतः इस प्रकरण में प्राधिकरण की सक्षम समिति के अनुमोदन पश्चात् प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाना उचित होगा।

उक्त प्रतिवेदन प्राधिकरण की कार्यकारिणी बैठक में अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया। यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर प्रकरण एस.बी.सी. 7038/2015 माधोसिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिये गये निर्देश की पालना में भूमि अवाप्ति के लिए लिया गया है। इस प्रकरण में राज्य सरकार को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम की धारा 46 के तहत प्रकरण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भिजवाया जा चुका है। अतः उक्त प्रस्ताव का प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में सर्व सम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। साथ यही उक्त प्रकरण का अनुमोदन प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: भैरव नाला भू अवाप्ति प्रस्ताव अनुमोदनार्थ

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर प्रकरण संख्या डीबीसी/7038/2015 माधो सिंह कच्छवाहा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 13.11.2018 की पालना में जोधपुर शहर में बरसाती पानी के सुगम निकासी जोजरी नदी तक पहुंच हेतु भविष्यगामी योजना को दृष्टिगत रखते हुए भैरव नाला निर्माण हेतु प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला व तहसील जोधपुर के ग्राम पाल, धिनाणा की ढाणी,

12.2.19

सांगरिया एवं तनावडा के विभिन्न खसरान् की निजी खातेदारी भूमि की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश दिनांक 19.08.2014 के तहत तहसीलदार जोधपुर एवं प्राधिकरण के तकनीकी अधिकारियों की टीम गठित की गई। टीम द्वारा विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 13.04.2015 को प्रस्तुत की गई। उक्त परियोजना हेतु पब्लिक वर्क कमेटी की बैठक दिनांक 05.10.2018 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों हेतु अभिशंषा करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की सुनिश्चितता तय की गई।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक जेडीए/अवाप्ति /2018/1514–24 दिनांक 26.02.2018 के द्वारा राजस्व कार्मिकों एवं तकनीकी अधिकारियों की टीम गठित कर भैरव नाला का विभिन्न ग्रामों से निकालते हुए जोजरी नदी तक एलायमेंट/मानचित्र तैयार करने, राजस्व अभिलेख अनुसार खातेदारों का विवरण एवं अवाप्ताधीन भूमि पर स्थित भौतिक संरचनाओं का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। अभियांत्रिकी शाखा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार मानते हुए अंतरिम वस्तस्थिति निम्नानुसार है। राजस्व अभिलेख अनुसार खातेदारों की रिपोर्ट अब तक अपेक्षित है।

क्र.स.	गांव का नाम	खसरा	कुल खसरों की संख्या	अवाप्ति योग्य क्षेत्रफल	अनुमानित राशि
1	पाल	294, 291, 292	03	8962.50 व.मी.	5,09,49,525/–
2	धिनाणा की ढाणी	465, 473, 474	03	4500.00 व.मी.	2,89,67,500/–
3	सांगरियां	305, 303, 302	03	13920.00 व.मी.	2,15,06,400/–
4	तनावड़ा	119, 121, 122	03	20640.00 व.मी.	6,67,31,040/–
		12	12	48022.50 व.मी. (29.67 बीघा)	16,81,54,465/–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रस्तावित भैरव नाले के एलायमेंट अनुसार नाले की चौडाई – फीट एवं लम्बाई लगभग 9.87 किलोमीटर है, जो उपरोक्त 4 गांवों के विभिन्न खसरान् की लगभग कुल रकबा 29.67 बीघा निजी खातेदारी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। उक्त भूमि में सरकारी भूमि भी शामिल है। राजस्व अधिकारियों की टीम द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर सही जानकारी ज्ञात होगी।

भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत संभावित मुआवजा राशि का निर्धारण/गणना संभव होगी।

क सभी गांवों की डीएलसी दर अनुसार संभावित कीमत 16,81,54,465/–
ख शत प्रतिशत सोलेशियम राशि 16,81,54,465/–
ग 10 प्रतिशत भौतिक संरचना एवं पेडों की राशि 1,68,15,447/–
अवाप्ति हेतु संभावित व्यय का योग 35,31,24,377/–

घ धारा 11 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से अंतिम अवार्ड जारी होने की तिथि तक की ब्याज राशि की गणना की जानी बाद में संभव होगी।

ङ नाला निर्माण हेतु संभावित राशि तकनीकी अधिकारियों द्वारा गणना कर अलग से बतलाया जाना संभव होगा।

उक्त भैरव नाला निर्माण की सीमा में आने वाली भूमि पर स्थित भौतिक संरचनाओं एवं खडे पेडों की स्थिति ज्ञात करने एवं राजस्व अभिलेख अनुसार प्रभावित भूमिधारकों/खातेदारों की सूची तैयार करने हेतु प्राधिकरण के अभियांत्रिकी शाखा के तकनीकी अधिकारी, राजस्व शाखा के तहसीलदार एवं पटवारी तथा तहसीलदार राजस्व जोधपुर की एक संयुक्त टीम बनाई जाकर अवाप्ति संबंधी विस्तृत सर्वे कर वांछित पालना रिपोर्ट शीघ्रताशीघ्र पेश करने हेतु पाबंद किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर भूमि पर स्थित भौतिक संरचनाओं एवं पेडों का मूल्यांकन करते हुए वर्तमान प्रभावित डीएलसी दर के अनुसार गणना की जाकर भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जानी संभव होगी।

इस प्रकरण में प्राधिकरण की सक्षम समिति के अनुमोदन एवं संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज जयपुर के पत्रांक प8(3) नविवि/01/2009/15.11.2018 के द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सहमति प्रदान की गई।

अतः उक्त प्रतिवेदन प्राधिकरण की कार्यकारिणी बैठक में अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया। यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर प्रकरण एस.बी.सी. 7038/2015 माधोसिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिये गये निर्देश की पालना में भूमि अवाप्ति के लिए लिया गया है। इस प्रकरण में राज्य सरकार को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम की धारा 46 के तहत प्रकरण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भिजवाया जाना है। अतः उक्त प्रस्ताव का प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में सर्व सम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया एवं राज्य सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित करने तथा स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति के इस निर्णय का अनुमोदन प्राधिकरण की आगामी बैठक में करवाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2018/ भाग–9/ कार्यकारी समिति की बैठक पत्रावली) के पैरा संख्या 72/एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदइस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

12.2.2019
(अरूण पुरोहित)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2019/615–631 दिनांक :: 12 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर

04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
06. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/मुख्यालय/उपसचिव/भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I/II/III जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

12.2.2019
(अरूण पुरोहित)
सचिव

परिशिष्ट–1

दिनांक 6 फरवरी, 2019 प्रातः 11.00 बजे श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री महीपाल कुमार, अतिरिक्त कलक्टर–द्वितीय, जोधपुर
2.	श्री संजीव माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
3.	श्री वी.के. छंगाणी, अधीक्षण अभियन्ता (शहर), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4.	श्री दीपक कुमार गुप्ता, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
5.	श्री अमिताभ कुमार जोशी, रीजनल मैनेजर, रीको, जोधपुर
6.	श्री श्रवण कुमार दाधिच, प्रबन्धक (सीबीएस), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, लिमिटेड, जोधपुर
7.	श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री पी.आर. बेनीवाल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री तुलसीदास शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	श्री जगदीश कुमार, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11.	श्री अरूण कुमार पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आंवटन) नियम, 2012 के नियम 4(i) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90–क के अधीन नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में अनुज्ञा प्रदान हेतु प्रस्तुत प्रकरणों में आवेदन के साथ प्रारूप 1 में नियम (vi) (घ) के अनुसार "प्रस्तावित स्थल तक पहुँच सडके" की प्रविष्ठी करते हुए आवेदित भुमि की पहुँच सडक की चौडाई की प्रविष्ठी करनी पडती है।

इस प्रकार नियम 2012 के नियम 4(i) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के समय आवेदित भूमि तक पहुँच सडक (मार्ग) तथा उसकी चौडाई की प्रविष्ठी प्रारूप 1 में करनी अनिवार्य है। यदि आवेदित भूमि तक पहुँच सडक (मार्ग) उपलब्ध नहीं है तो धारा 90–क के प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की अनुज्ञा प्रदान नही की जा सकती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 49 के प्रावधान कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमितीकरण, विकास आदि की शक्ति प्रदान करते है –

धारा 49. कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमितीकरण आदि– (1) ऐसी समस्त भूमियां, जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90–क के अधीन प्राधिकरण के अधीन रखी हुई समझी गयी हैं, उनके खातेदारों के खातेदारी अधिकारों और हित के पुर्नग्रहण या, यथास्थिति, अभ्यर्पण पर, अधिमानतः ऐसे व्यक्तियों को, जो आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा उन्हें किये गये आवंटन या दिये गये पट्टे के आधार पर या काश्तकार या ऐसे काश्तकार के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जिसके खातेदारी अधिकार उक्त उपबंध के अधीन पुर्नगृहीत या अभ्यर्पित किये गये हैं, उन्हें भूमि के अन्तरण के किसी भी अन्य दस्तावेज के आधार पर ऐसी भूमि या, यथास्थिति, उसके भाग पर कब्जा रखते हैं, ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर और प्राधिकरण को ऐसे प्रभारों या प्रीमियम या, यथास्थिति, दोनों के संदाय के अध्यधीन और ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार इस निमित विहित करे, आवंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी :

परन्तु किसी भी ऐसी भूमि का आवंटन या नियमितीकरण नहीं किया जायेगा जिसको सार्वजनिक उपयोगिताओं/सेवाओं, जैसे पार्क, पौधशाला, सिविल या सैन्य विमानन, बस अड्डे, परिवहन टर्मिनल, रेलवे, सार्वजनिक सडकों, राजमार्गो, पैदल रास्ते, मलप्रवाह नाली, जलप्रदाय, विद्युत प्रदाय, टेलीफोन लाइनों, चिकित्सालय, विद्यालय, शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय, श्मशानघाट, कब्रिस्तान के लिए और अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सम्यक् रूप से निश्चित किया गया है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन वसूल किये गये प्रभार राज्य की समेकित निधि में और प्राधिकरण की निधि में जमा किये जायेंगे जैसा कि राज्य स्वामित्व आधार द्वारा अवधारित किया जाये।

इस संबंध में नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांकःप.10(अ)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक 08.06.2015 का बिन्दु संख्या 15.4 महत्वपूर्ण है।

बिन्दु संख्या 15.4 – सम्पर्क सड़के (परिपत्र दिनांक 25.02.2011 सपठित परिपत्र दिनांक 25.02.2009 का बिन्दु संख्या 12):–

परिपत्र क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 25.02.2011 के बिन्दु संख्या (ब) 3 के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में सम्पर्क सडकों की सुनिश्चिता भी आवश्यक हैं। जिसके अनुसार मौके पर निर्धारित चौडाई का पहुँच मार्ग उपलब्ध न होने पर मौके पर निर्धारित चौडाई का मार्गाधिकार उपलब्ध होने एवं उस पर सडक निर्माण की कार्यवाही किये जाने के उपरांत भू–उपयोग परिवर्तन बाबत अंतिम आदेश जारी किये जा सकेंगे। परिपत्र क्रमांक प. 3(43)नविवि/3/09 दिनांक 25.02.2009 की बिन्दु संख्या 12 के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सम्पर्क सडकों की चौडाई निम्नानुसार उपलब्ध होनी चाहिए –

I. 5 एकड तक भू–क्षेत्र हेतु 40 फीट चौडी सडक
II. 5 से 10 एकड तक भू–क्षेत्र हेतु 60 फीट
III. 10 से 50 एकड तक भू–क्षेत्र हेतु 80 फीट
IV. 50 एकड से अधिक भू–क्षेत्र हेतु 100 फीट चौडाई की सम्पर्क सडक रखना अनिवार्य होगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि कृषि भूमि के गैर कृषिक उपयोग की अनुज्ञा तभी की जा सकती है जब आवेदित भूमि हेतु सम्पर्क सडक विद्यमान हो अथवा आवेदक सम्पर्क सडक उपलब्ध करावें।

जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मास्टर विकास योजना के अनुसार अनुज्ञेय भू–उपयोग के क्रम में कृषि भूमि के गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन हेतु आवेदक को आवेदित भूमि तक संपर्क सडक के रूप में निजी खातेदारों की भूमि में से मार्ग उपलब्ध नहीं नहीं होने की स्थिति में यदि आवेदक राजकीय भूमि जो जोधपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो चुकी है, में से मार्गाधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो ऐसे आवेदन के निस्तारण हेतु वर्तमान में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण में निहित राजकीय भूमि पर कदीमी रास्ते का राजस्व रिकार्ड में इंद्राज नहीं होने की स्थिति में ऐसे कदीमी रास्ते को मास्टर विकास योजना/जोनल विकास योजना में दर्ज मार्गों के अलावा आवेदक को संपर्क सडक के रूप में Consider करने के संबंध में भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इस कारण प्राधिकरण क्षेत्र में मार्गाधिकार/संपर्क सडक के अभाव में मास्टर विकास योजना के अनुरूप कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ विकास किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है जिससे न केवल निजी खातेदार को असुविधा हो रही है बल्कि प्राधिकरण की आय एवं प्राधिकरण क्षेत्र के योजनानुसार विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

कृषि भूमि तक पहुँच मार्ग के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में की धारा 251 तथा धारा 251–क में निम्नलिखित प्रावधान किया हुआ हैः–

धारा 251 – (1) – उस अवस्था में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपभोग कर रहा हो अपने ऐसे उपभोग में बिना उसकी सहमति के कानून द्वारा निर्धारित प्रणाली से भिन्न तरीके से बाधित किया जाय, तहसीलदार, इस प्रकार बाधित भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर, तथा उक्त उपभोग एवं बाधा के विषय में सरकारी जाँच करने के पश्चात् बाधा को हटाये जाने की अथवा बंद किये जाने की और प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने देने की आज्ञा दे सकेगा चाहे इस प्रकार पुनः उपभोग किये जाने के खिलाफ तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जाय।

(2) – इस धारा के अन्तर्गत पारित कोई आज्ञा किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार या सुखाचार को स्थापित करने से वर्जित नहीं करेगी जिसके लिए वह सक्षम दीवानी न्यायालय में नियमित रीति से वाद प्रस्तुत कर के दावा कर सकता हो।

धारा 251 कः– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करनाः– (1) जंहा–

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पंहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आन्त्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पंहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है, तो आदेश के द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह के कम से कम तीन फुट नीचे पाईपलाइन बिछाने के लिये या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शया जाए, भूमि में होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाए तो लघुतम

या निकटतम रूट में से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिये, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईपलाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा किए जाने का अधिकार मंजूर किया जाए, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जंहा उपधारा 1 के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित कर दी जाएगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा 1 में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिये अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

उक्त वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण क्षेत्र में राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 व 251-क के समान राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आंवटन) नियम, 2012 में शिथिलता प्रदान करते हुए प्राधिकरण में निहित भूमि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन मार्गाधिकार उपलब्ध कराया जा सकेगा :-

1. प्राधिकरण में निहित भूमि जो कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही हो परंतु राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज हो अथवा नहीं हो।
2. प्राधिकरण में निहित ऐसी भूमि जो कदीमी रास्ते के रूप में तो उपयोग में नहीं आ रही हो किंतु उस पर मार्गाधिकार स्वीकृत करने से प्राधिकरण के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हो।
3. प्राधिकरण में निहित ऐसी भूमि जो कदीमी रास्ते के रूप में तो उपयोग में नहीं आ रही हो किंतु उस पर मार्गाधिकार स्वीकृत करने सें भूमि का ऐसा विभाजन नहीं होता हो कि शेष बची प्राधिकरण की भूमि की उपयोगिता कम हो जाए।
4. प्राधिकरण में निहित ऐसी भूमि जो कदीमी रास्ते के रूप में तो उपयोग में नहीं आ रही हो किंतु उस पर मार्गाधिकार स्वीकृत करने से मास्टर/जोनल योजना की सडकों/मार्गों पर विपरीत प्रभाव नहीं पडता हो।
5. प्राधिकरण में निहित भूमि पर मार्गाधिकार उपलब्ध कराने के पश्चात् उक्त मार्ग पर आवेदक का कोई विशेषधिकार/स्वामित्व नहीं होगा। मार्ग की भूमि प्राधिकरण में ही निहित रहेगी तथा सार्वजनिक मार्ग के रूप में उपयोग में ली जाएगी।
6. प्राधिकरण में निहित भूमि पर राज्य सरकार तथा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के द्वारा निर्धारित चौडाई का ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
7. प्राधिकरण में निहित भूमि पर मार्गाधिकार राज्य सरकार तथा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के तहत मार्गाधिकार स्वीकृत करने का निर्णय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा ही लिया जा सकेगा तथा कोई व्यक्ति अधिकार के रूप में इसकी मांग नहीं कर सकेगा।
8. प्राधिकरण में निहित भूमि पर मार्गाधिकार की स्वीकृति जारी होने के पश्चात् मार्ग को जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिग्रहण अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।
9. प्राधिकरण में निहित भूमि पर मार्गाधिकार की स्वीकृति राज्य सरकार तथा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि आवेदक द्वारा भुगतान किए जाने के पश्चात् ही जारी की जा सकेगी।
10. मार्गाधिकार की स्वीकृति की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् यदि आवेदक धारा 90-ए की कार्यवाही प्रत्याहरित (withdraw)/निरस्त करवाता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा मार्गधिकार हेतु जमा कराई गई क्षतिपूर्ति राशि रिफण्ड नहीं की जाएगी।

प्राधिकरण में निहित भूमि पर मार्गाधिकार की स्वीकृति हेतु क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने हेतु विचारणीय प्रावधान राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के बिन्दु संख्या 13(V)

एवं राजस्थान कास्तकारी (राजकीय) नियम 1955 कि धारा 70 में दिए गए हैं जो निम्नानुसार है :-

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 का बिन्दु संख्या 13(v)-

"In case of any government land falling within the area of the scheme the ULB may (if there no scheme of ULB for the land in question) consider allotting the same to the developers up to 10% area of the scheme at the reserve of the area or DLC rate, whichever is higher. In case the government land exceeds 10% of the area, prior approval of the State Government shall be obtained"

राजस्थान कास्तकारी (राजकीय) नियम 1955 का नियम 70-

Determination of compensation.- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-
(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.
(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-
(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee | constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and
(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee ; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.
(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure,] the amount of actual loss or damages shall also be determined.

प्रश्नगत विषय पर क्षतिपूर्ति के निर्धारण करने हेतु राजस्थान कास्तकारी (राजकीय) नियम 1955 के नियम 70 के प्रावधान टाउनशिप पॉलिसी 2010 की बिन्दु संख्या 13(v) के प्रावधान की तुलना में अधिक सुसंगत है, क्योंकि बिन्दु संख्या 13(v) के तहत भूमि का आवंटन आवेदक को किया जाता है। जबकि मार्गाधिकार की स्वीकृति में भूमि प्राधिकरण में ही निहित रहेगी तथा स्वीकृत मार्गाधिकार पर आवेदक का किसी भी प्रकार कोई विशेषाधिकार/स्वामित्व नहीं रहेगा।

इसलिए प्राधिकरण की भूमि पर मार्गाधिकार की स्वीकृति हेतु क्षतिपूर्ति के निर्धारण करने के लिए राजस्थान कास्तकारी (राजकीय) नियम 1955 के नियम 70 के प्रावधानों के समान क्षतिपूर्ति राशि जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा निर्धारित दर की दो गुना दर से ली जाएगी।